न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया

सोनु कुमार रजक बनाम बासुदेव दास वगैरह

वाद संख्या – 70/2022

धारा – 144 द0प्र0स0

आदेश की क्र0 सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
21/08/22	आदेश आदेश हेतु अभिलेख उपस्थापित। प्रश्नागत वाद प्रथम पक्ष के सोनु कुमार रजक पिता रामेश्वर रजक के आवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया। प्रथम पक्ष के अनुसार वादग्रस्त भूमि केवाला से हासिल है। जिसपर द्वितीय पक्ष के द्वारा मकान निर्माण किया जा रहा है जिसको लेकर विवाद है। वादग्रस्त भूमि का विवरण निम्नवत है मौजा – मंदरामों, थाना – सरिया, जिला – गिरिडीह के अन्तर्गत, खाता नं0 – 161, प्लॉट नं0 – 388, रकबा – 1+1 डी0 कुल रकबा – 2 डी0 चौहदी उ0 – रामेश्वर रजक, दं0 – हरिदयाल दास, पू0 – भीखन दास, पं0 – जगरनाथ दास। दुसरा पार्ट चौहदी उ0 – नीज प्रथम पक्ष, दं0 – द्वितीय पक्ष, पू0 – जगरनाथ दास, पं0 – प्रथम पक्ष। द्वितीय पक्ष के द्वारा वादग्रस्त भुमि पर बलपूर्वक हडपने की नियत से मकान बना रहे हैं। इस कारण से काफी विवाद हो रहा है। प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि वादग्रस्त भूमि इनके माता श्रीमति रधिया देवी पति श्री रामेश्वर रजक को केवाला संख्या – 3710 दिनांक – 12/04/2005 एवं इनके पिता रामेश्वर रजक वल्द स्व0 चोलो रजक को केवाला संख्या – 668 दिनांक 25/01/2000 को हासिल है। जिसपर प्रथम पक्ष शांति पूर्वक दखलकार हैं। एवं अंचल सरिया से चालु पंजी II में जमाबंदी कायम हैं। आवेदक के द्वारा अपने दावे के समर्थन में केवाला संख्या – 3710 दिनांक 12/04/2005 एवं केवाला संख्या – 668 दिनांक 25/01/2000 कि छायाप्रति, एवं सरकारी मालगुजारी रसीद कि	

छायाप्रति दाखिल किया गया।

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा कारण–पृच्छा दाखिल कर बताया गया कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि खतियानी भूमि है जो मंगर चमार वगैरह के नाम पर दर्ज है। प्रथम पक्ष की खरिदगी जमीन पर पक्का मकान बना हुआ है फिर भी प्रथम पक्ष बेवजह मुकदमा दायर कर दिये।

द्वितीय पक्ष के द्वारा अपने दावे के समर्थन में खतियान कि छायाप्रति एवं सरकारी रसीद छायाप्रति दाखिल किया गया है।

थाना प्रभारी सरिया के ज्ञापांक संख्या – 1154 दिनांक 09/07/2022 के जॉच प्रतिवेदन एवं उभय पक्षों के द्वारा दाखिल कारण–पृच्छा का अवलोकन किया अवलोकन के पश्चात प्रतीत होता है कि उक्त वाद हक हकियत को लेकर लाया गया है जिसका निपटारा इस न्यायालय में नहीं किया जा सकता है। साथ ही इसका उल्लेख करना समीचीन होगा कि इस वाद में पारित आदेश जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक राज्य बनाम प्रवीण भाई थोगडिया [*Appeal (Crl.)401 of 2004*] कहा है कि "*.....more preventive in nature and not punitive in their effect and consequences*". अतः किसी के पक्ष में आदेश पारित करना उचित नहीं होगा।

अतः उक्त विवेचन के आलोक में वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित।

21/08

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया

21/08

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया

Digitally signed by SANTOSH GUPTA
Date: 2023.11.30 14:17:28 +05:30
Location: 192.168.1.4